Relevant Extracts of the Report of the Committee on Trade Policies

The issue of the choice between tariffs and quotas, as alternative instruments of trade policy, was debated at some length. The Committee believes that, in the ultimate analysis, tariffs should replace quotas over time. In principle, this would be a step in the right direction for a number of reasons. First, as the number of import transactions has increased over the years, import licensing has become more complex to administer in a prompt manner. Second, it may be easier for importers to assess the costs and the availability in the case of tariffs as compared to quotas. Third, fiscal controls may be preferable to physical controls in administrative terms, as they would reduce the incidence of delays and misuse. Fourth, in accordance with the object of de-escalating protection over time, a reduction in tariffs rather than quotas would be more transparent and easier to comprehend on the part of import-competing firms.

The Committee recognises that the process of transition would have to be gradual as tariffs and quotas are not perfect substitutes for one another. In many cases, the tariff equivalent of quotas, for example in the case of capital goods, may be so high that it would further escalate the domestic costs of production without any change in the degree of protection; in such cases, it may be preferable to retain the import licensing system. Bearing in mind this general principle, the Committee has suggested some areas where it would be advisable to move from licensing to tariffs. Wherever licences are substituted by tariffs, it needs to be accepted that tariffs are an instrument of trade policy and not a means of raising revenue. In a situation where domestic resource mobilisation is exceedingly difficult, there is a distinct possibility that the revenue raising objective may retain importance and precedence. Hence, the Committee recognises that the proposed change in the role of tariffs would have revenue implications that would determine the pace of the transition from physical to fiscal controls in trade. During the period of transition, the structure of tariffs and the import licensing policies would have to be harmonised with each other, which is not the case at present. Beginnings are always difficult. Yet, the Committee believes that if there is to be a transition from quotas to tariffs, it is imperative to evolve a mechanism supported by a group of exporters who would formulate the guidelines and the methodology for the rationalisation of the tariff structure and the harmonisation of import licensing with tariffs; this would enable the Ministry of Finance to restructure the tariff rates. It goes without saying that a close inter-eparmental coordination between the Ministries of Commerce, Industry and Finance is a pre-requisite for the proposed change to be introduced. The Committee hopes that this interim institutional mechanism would ultimately evolve into a suitable permanent arrangement.

बैंकों में डकैतियां/धोखाधड़ी के मामले

926. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 से 31 जनवरी, 1986 की अवधि में देश के किन-किन बैंकों में डकैतियों और धोखाधडी की कितनी घटनाएं हुई और प्रत्येक मामले में कितना रुपया लूटा गया अथवा कितने रूपये की धोखाधड़ी की गई; और

(ख) उक्त मामलों में कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :— (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-85 से 31-1-86 की अवधि

के दौरान देश में हुई बैंक डकैतियों/लूटपाटों की संख्या उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना विवरण-I में दी गई है ।

जहां तक बैंक धोखाधड़ियों का संबंध है, ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर रखे जाते हैं । इसके अनुसार वर्ष 1985 में देश में हुई बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि के संबंध में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना विवरण-II में दी गई हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1985 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में 27 बैंक अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दंडित किया गया था और 387 बैंक अधिकारियों को छोटे/बड़े दण्ड दिए गए जिनमें नौकरी से बर्खास्त करना, सेवा मुक्त करना और नौकरी से हटाना शामिल है । 1985 के अंत में 186 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई और 446 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लम्बित थी ।

विवरण–I

1.1.1985 से 31.1.1986 तक देश के सरकारी क्षेत्र के बैंको में हुई बैंक लूटपाट/डकैती उनमें अंतर्ग्रस्त राशि और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना

बैंक का नाम	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4
1. भारतीय स्टेट बैंक	13	35.34* 400 ग्राम वजन की 8 स्वर्ण ऋण बैलियां	8
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1	—	—
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	5	3.72	2
4. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	—	—
5. इलाहाबाद बैंक	6	24.05	4
6. आन्ध्रा बैंक	1	12.75	—
7. बैंक आफ बड़ौदा	5	11.07	5
8. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	3	4.54	5
9. पंजाब नेशनल बैंक	10	16.65	2
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	2	0.90	—
11. यूको बैंक	6	10.42	1
12. विजया बैंक	2	12.17	1
13. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2	1.48	—

1	2	3	4
14. न्यू बैंक आफ इंडिया	3	7.12	—
15. इंडियन ओवरसीज बैंक	4	7.30	1
16. बैंक आफ इंडिया	7	26.09	15
17. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	2	0.41	2
18. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2	2.25	—
19. इंडियन बैंक	1	2.88	—
20. केनरा बैंक	3	0.81	1
21. देना बैंक	1	0.75	1
22. सिंडिकेट बैंक	1	2.80	—

विवरण–II

वर्ष 1985 में देश में हुई धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त राशि में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना का विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या	कुल राशि (लाख रु०)
1	2	3	4
i.	भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंक	635	2087.34
ii.	राष्ट्रीयकृत बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	95	46.13
2.	आंध्रा बैंक	34	198.90
3.	बैंक आफ बड़ौदा	82	42.11
4.	बैंक आफ इंडिया	110	117.35
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	36	13.86
6.	केनरा बैंक	157	214.82
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	107	116.68
8.	कारपोरेशन बैंक	50	87.63
9.	देना बैंक	59	79.27
10.	इंडियन बैंक	60	100.51
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	77	47.52
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	16	17.42

1	2	3	4
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	14	421.43
14.	पंजाब नेशनल बैंक	292	1400.63
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	14	15.82
16.	सिंडिकेट बैंक	103	164.83
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	83	66.76
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	28	12.31
19.	यूको बैंक	58	73.17
20.	विजया बैंक	47	25.53
		2157	5348.02

टिप्पणी : यह जरूरी नहीं कि अंतर्ग्रस्त राशि के ऊपर दिए गए आंकड़े बैंकों को होने वाली वास्तविक हानि के द्योतक हों।

मध्य प्रदेश में अफीम की खेती के लिये भूमि का आबंटन

927. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में अफीम की खेती के लिए भूमि पट्टे पर दी जा रही है ;

(ख) वर्ष 1984-85 में उक्त जिलों में कितने हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी और क्या कुछ कृषकों को भूमि के कोई नये क्षेत्र भी पट्टे पर दिये गए थे ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चालू वर्ष में अफीम की खेती के क्षेत्र को कम कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि "चुम्बक कांड" में गवाही देने वाले अफीम उत्पादकों में से कई के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं ; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में पात्र कृषकों को अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं :-

(1) मंदसौर
(2) रतलाम
(3) उज्जैन
(4) शाजापुर
(5) राजगढ़
(6) झाबुआ

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उपर्युक्त जिलों में पोस्त खेती के लिए भूमि का क्षेत्र निम्नलिखित है :—

(हैक्टेयरों में)

क्रम सं०	जिला का नाम	क्षेत्र*
1.	मंदसौर	9,927
2.	रतलाम	1,705